

[भारत के असाधारण राजपत्र भाग II, खण्ड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]


भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 3-फ़ेब्रुअरी, 2014

शुद्धि पत्र

सा.का.नि.सं. ~~286(31)~~ दिनांक 18 फरवरी, 2014 को सा.का.नि. 96 (अ) के तहत जारी अधिसूचना की पंक्ति सं. सात एवं आठ को "1 (1) ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) चौथा संशोधन नियमावली, 2013 के नाम से जाने जाएंगे" की बजाय "1 (1) ये नियम केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) प्रथम संशोधन नियमावली, 2014 के नाम से जाने जाएंगे" पढ़ा जाए।

[फाइल संख्या 13026/4/2012-स्था.-(छुट्टी)]


(शर्मता कुन्दरा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,


मायापुरी, नई दिल्ली

सेवा में,

भारत के के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक प्रेषण सूची के अनुसार)

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित :-

1. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक/महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय ।
2. संघ लोक सेवा आयोग/भारत के उच्चतम न्यायालय/निर्वाचन आयोग/लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सचिव ।
3. अपर सचिव (संघ राज्य), गृह मंत्रालय ।
4. सभी राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र ।
5. सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल/प्रशासक ।
6. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
7. विभागीय परिषद की राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य
8. पुनर्वास खंड सहित गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय और डेस्क/अनुभाग अधिकारी ।
9. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/ प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग/पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी एवं अनुभाग ।
10. राजभाषा विभाग (विधायी विभाग) ।
11. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
12. एनआईसी को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।



(मुकेश चतुर्वेदी)

निदेशक